संख्या-181/2015/2972/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-10(पी)/2015

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

T-1557

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2015

विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,औरैया के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-953/तीन/वि-4-/भूमि/भवन/औरैया सदर/2014-15(1), दिनांक 19-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरैया के भवन निर्माण हेतु सामान्य गृदा के लिए शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010, दिनांक 29-03-2013 द्वारा निर्धारित एवं शासनादेश संख्या-46/2015/171/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-5(पी)/2010, दिनांक 11-03-2015 द्वारा पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रूपये 627.51 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) स्वीकृत कर आपके नियंत्रण पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत संस्थान के भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था "उत्तर राजकीय निर्माण निगम लि0" द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशालय द्वारा समय से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को स्वीकृत लागत में यथा समय पूरा कराया जायेगा ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाये।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या- 1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010 दिनांक 29-03-2013 एवं शासनादेश संख्या-46/2015/171/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-2(पी)/2010, दिनांक 11-03-2015 द्वारा मानकीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां ,मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशालय का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाय। इसके उपरान्त पुनरीक्षण के आधार पर कोई धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

2/-

(9) [illegible]

(10) [illegible]

(11) [illegible]

(12) [illegible]

(13) [illegible]

(14) [illegible]

(15) [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय [illegible] उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

[illegible]

संयुक्त सचिव

[illegible]

[illegible] सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

5- [illegible]

6- [illegible]

7- [illegible]

8- [illegible]

9- गार्ड फाइल।